तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
23/10/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। बहस की गई जो सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 28/10/24 को पेश हो। [signature]
28/10/24.	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है- प्रार्थीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 180, 183 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि मूर्ति मंदिर महादेव जी के खाते की आराजी ग्राम चन्द्रेसल 43.75 हैक्टे., रंगपुर उर्फ भालातालाब 1.45 हैक्टे., मानसोल्ली 0.40 हैक्टे., नोताना 0.15 हैक्टे. व ग्राम उमलाना में 0.40 हैक्टे. स्थित है। प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं तथा नाजायज लाभ उठा रहे हैं। अत: मंदिर मूर्ति महादेव जी चन्द्रेसल के नाम दर्ज आराजी पर परिवादी

नम्बर व तारीख हुकम जो किस की तामील की हुए

न्यायालय उपखण्ड ... कोटा

[signature]
उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको बेदखल किये जाने की डिक्री पारित की जावे। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 R11 सी.पी.सी. 23/5/2001 को प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R11 का जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 28/5/2001 को प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र बाबत रिसीवर नियुक्त जिला कलेक्टर महोदय कोटा को 3/10/2001 को प्रस्तुत किया गया था, जो भी शामिल पत्रावली है। प्रकरण से सम्बन्धित वाद आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर व न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) कोटा में भी लंबित रहे, जिनके निर्णयों की प्रतियाँ पत्रावली में संलग्न है। प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र 14/3/2007 इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी रूपरवन वन का देहान्त हो चुका है तथा उसका एकमात्र वैधानिक	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	चेला भवानीशंकर है, जिसे सर के स्थान पर उसका कायम मुकाम बनाया जावे। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों तथा प्रकरण की सम्पूर्ण नोटशीट का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। नोटशीट तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट हो जाता है कि आज दिनांक तक किसी भी प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं किया गया है। अतः इस आदेश के पालन से समस्त प्रार्थनापत्रों तथा प्रश्नगत प्रकरण को as a whole निस्तारण किया जा रहा है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित है कि प्रश्नगत समस्त कृषि आराजी मूर्ति मंदिर महादेव जी चन्द्रेश्वर के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त सूचना अनुसार प्रश्नगत सम्पूर्ण आराजी को जिला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज़	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
कलेक्टर महोदय कोटा के आदेशानुसार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कब्जाराज किया हुआ है तथा प्रश्नगत सम्पूर्ण कृषि आराजी की व्यवस्था तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मुनाफा कास्त के माध्यम से की जाती है तथा मुनाफा कास्त से प्राप्त सम्पूर्ण राशि को मूर्ति मंदिर हेतु खोले गए बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में जमा करवा दिया जाता है। उक्त परिस्थितियों में जबकि प्रश्नगत सम्पूर्ण आराजी कब्जा राज है तथा सम्पूर्ण आराजी की व्यवस्था का कार्य तहसीलदार लाडपुरा द्वारा किया जा रहा है, हम धारा 180, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई भी राहत प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं पाते। तथा ना ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R11 सी.पी.सी. का आधार पाते हैं। अतः सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	अन्तर्गत ORII खारिज किया जा ... है तथा साथ ही प्रकरण में प्रस्तुत अन्य समस्त प्रार्थनापत्र भी खारिज किए जाते हैं। चूंकि प्रकरण में न्यायिक तौर पर वर्तमान में कोई राहत देय नहीं है अतः उनकी निस्तारण की आवश्यकता भी नहीं है। उक्त समस्त परिस्थितियों में प्रश्नगत प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि तहसीलदार लाडपुरा मंदिर मूर्ति महादेव जी चन्द्रेसल की मंदिर मूर्ति महादेव जी चन्द्रेसल की कब्जा शुदा की गई समस्त भूमियों की उचित व नियमानुसार व्यवस्था करें, यह सुनिश्चित करें कि मंदिर की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, मंदिर की सुरक्षा व पूजा अर्चना का परम्परानुसार निर्वहन हो, तथा इस समस्त व्यवस्थाओं में पुरातत्व

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
विभाग के दिशानिर्देशों की पूर्णतया पालना हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 28/8/24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★ उपखण्ड अधिकारी कोटा	